

1. **दूरस्थ ई-वोटिंग** : सेबी के (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, बैठक के नोटिस में उल्लेखित मदों पर शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:
 - ए. बैंक ने ई- वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु कार्वी कंप्यूटरशेयर्स प्रा. लि. को दूरस्थ ई- वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।
 - बी. **दूरस्थ ई- वोटिंग हेतु पोर्टल मंगलवार, 27 जून, 2017 को सुबह 9.00 बजे से गुरुवार 29 जून, 2017 को शाम 5 बजे तक खुला रहेगा (दोनों दिन सहित).**
 - सी. **दूरस्थ ई-वोटिंग वैकल्पिक है.** इस निर्दिष्ट तारीख अर्थात् शुक्रवार 23 जून, 2017 को मूर्त या अमूर्त (डिमाँटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे।
 - डी. दूरस्थ ई-वोटिंग से संबंधित अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
 - i. जो शेयरधारक उपर्युक्त कट-ऑफ-डेट को वोट देने हेतु पात्र हैं, ई-वोटिंग के लिए **मंगलवार, 27 जून, 2017 को सुबह 9 बजे पोर्टल खुलने पर** निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें : <https://evoting.karvy.com>
 - ii. लॉग-इन क्रेडेंसियल की अर्थात् नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट करें.
 - iii. उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्लिक करें.
 - iv. आप 'पासवर्ड बदलें' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा. नये पासवर्ड में एक 'अपर केस' (A-Z), एक लॉअर केस (a-z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे. सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं. ई- मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे में कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो उसे दर्ज करने हेतु कहेगा. आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं. **यह दृढ़तापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.**
 - v. आपको नये क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा.
 - vi सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको **EVEN** अर्थात् बैंक ऑफ़ बड़ौदा का चयन करने हेतु निर्देश देगा. वोटिंग पृष्ठ पर, निर्दिष्ट तारीख (**23 जून, 2017**) पर शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी. **ASSENT** अथवा **DISSENT**, जैसा भी मामला हो, पर क्लिक कर सकते हैं. पुष्टि करने हेतु **OK** पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु **CANCEL** पर क्लिक करें. **एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक संकल्प पर वोट देने के पूर्व कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है.**
 - vii. एक से अधिक फोलियो/डिमाँट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो /डिमाँट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया करनी होगी. तथापि,
1. **Remote E-Voting** : Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:
 - a) The Bank has appointed Karvy Computershare Private Limited as the remote e-voting agency to provide the e-voting platform.
 - b) **The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Tuesday, 27th June 2017 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Thursday, 29th June 2017 (both days inclusive).**
 - c) **Remote e-voting is optional.** Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut – off Date i.e. Friday 23rd June 2017, may cast their vote electronically.
 - d) The instructions for remote e-voting are as under:
 - i. The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Cut-Off Date, to use the following URL for e-voting: <https://evoting.karvy.com> on opening of the same on **Tuesday, 27th June, 2017 at 9.00 a.m.**
 - ii. Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip annexed on this Notice.
 - iii. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
 - iv. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**
 - v. You need to login again with the new credentials.
 - vi. On successful login, the system will prompt you to select the **EVEN** i.e., Bank of Baroda. On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the Cut-off Date (**23rd June 2017**) will appear. You will have option to vote for all the Resolutions in one go at the TOP by click on **ASSENT** or **DISSENT**. Alternatively you may vote individually for each Resolution separately by clicking **ASSENT** or **DISSENT** for each Resolution. Click **OK** to confirm else **CANCEL** to modify. **Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.**
 - vii. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio /

शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट करने की अनुमति नहीं होगी।

- viii. उपर्युक्त अनुरूप पोर्टल बंद हो जाएगा एवं बंद होने पर यह सुविधा तत्काल समाप्त हो जाएगी।
- ix. बैंक ने श्री एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन, या उनकी अनुपस्थिति में मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कं. के किसी भी भागीदार, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को दूरस्थ रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
- X. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के अभिप्रमाणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/जेपीजी) प्रति **scrutinizer@snaco.net** ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजनी अपेक्षित है।
- xi. ऐसे शेयरधारक, जो 21 वीं एजीएम के लिए नोटिस/संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के प्रेषण हेतु कट-ऑफ-डेट एवं ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ-डेट के बीच शेयर प्राप्त करते हैं तथा अपना ई-मेल आईडी अपने संबंधित डीपी के साथ रजिस्टर करते हैं, उन्हें इस संबंध में आरटीए के माध्यम से सूचना दी जाएगी। ऐसे अन्य शेयरधारक विवरण प्राप्त करने हेतु बैंक की वेबसाइट देखें।
- xii. आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप डाउनलोड अनुभाग <https://evoting.karvy.com> में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) का अवलोकन कर सकते हैं, अथवा मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. (यूनिट : बैंक ऑफ बड़ौदा), कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32 गचीबावली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद- 500 032 के उप महाप्रबंधक, श्री एस वी राजू, से ई-मेल raju.sv@karvy.com या दूरभाष संख्या 040 6716 2222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

2. वार्षिक सामान्य बैठक में चुनाव प्रक्रिया

कार्यसूची की मर्दानों पर वोटिंग, दूरस्थ ई-वोटिंग तथा बैठक में वोटिंग के माध्यम से होगी। जो दूरस्थ ई-वोटिंग विकल्प का प्रयोग नहीं करते वे बैठक की तारीख को वार्षिक सामान्य बैठक के स्थल पर आयोजित किए जाने वाले वोटिंग में अपना वोट देने के पात्र होंगे। बैठक के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में घोषणा किए जाने के तुरंत बाद वोटिंग पेपर/टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे और उपस्थित अंतिम शेयरधारक द्वारा वोट देने तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी।

इस प्रयोजन से नोटिस के साथ भेजे गए अथवा पंजीकरण के समय जारी किए गए वोटिंग पेपर पास को वापिस जमा करने के बाद शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों को काउंटर पर वोटिंग पेपर/टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। 21 वीं वार्षिक सामान्य बैठक हेतु कार्यसूची की सभी मर्दानों के संबंध में वोटों की संख्या उनके द्वारा निर्दिष्ट तारीख अर्थात् **23 जून, 2017** तक धारित शेयरों की संख्या के समान होगी।

demat account. However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Central Government is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

- viii. The portal will close as aforesaid and the facility will be disabled immediately on the closure.
- ix. The Bank has appointed M/s S.N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- x. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail : **scrutinizer@snaco.net**
- xi. Shareholders acquiring Shares between the Cut –Off Date for dispatch of the Notice for 21st AGM / Abridged Annual Report 2016-17 and the Cut-Off Date for E-voting and have registered their e-mail IDs with their respective DP, shall be sent communication by RTA in this regard. Such other Shareholders may visit Bank's website to get the details.
- xii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact Mr. S.V. Raju, DGM of Karvy Computershare Pvt. Ltd, (Unit : Bank of Baroda), Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 at e-mail raju.sv@karvy.com or phone no. 040 6716 2222 OR at 1800 345 4001 (toll free).

2. **VOTING PROCESS AT THE AGM** : The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the meeting. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the venue of the AGM on the date of the meeting. Voting paper / tablet will be provided immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting and will continue till the last shareholder present, cast his vote. Voting paper / tablet shall be provided at the Counters set up for this purpose to the Shareholders / Proxy holders/ Authorized Representatives on surrender of Voting Paper Pass dispatched along with the Notice or issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-Off Date i.e., **23rd June 2017** in respect of all the items of the Agenda for the 21st AGM.